

NAME OF TRUST: AMBEDKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT SOCIETY (AIMS) FOUNDATION
 VIKAS NAGAR LUCKNOW, PINCODE-226022
 NAME OF THE INSTITUTE: IDEAL ARIKET COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES
 SITUATION: VILL- AMARABANDA, KURSI ROAD, BARABANKI, PINCODE-226302

COURSE NAME: DIPLOMA IN PHARMACY
 DATE NO. 1125,1123
 TOTAL AREA OF LAND: 9990.00 SQ.M

AREA STATEMENT	SQ.MT
TOTAL PLOT AREA	9990.00 SQ.M
COV. AREA ON G.F	1462.98 SQ.M
COV. AREA ON F.F	168.32 SQ.M
GRAND TOTAL	1651.3 SQ.M

GROUND COVERAGE %: 14.84%
 ACHIEVED F.A.R -0.16


INSTRUCTIONAL AREA
 CLASS ROOM-1=90.03 SQ.M
 CLASS ROOM-2=90.03 SQ.M
 CLASS ROOM-3=90.03 SQ.M
 LABORATORY-1=75.51 SQ.M
 LABORATORY-2=75.51 SQ.M
 LABORATORY-3=75.51 SQ.M
 LABORATORY-4=75.51 SQ.M
 LABORATORY-5=75.51 SQ.M
 PREPARATION ROOM=40.00 SQ.M
 MACHINE ROOM=111.54 SQ.M
 MUSEUM=52.86 SQ.M
 SEMINAR ROOM=100.00 SQ.M
 LIBRARY=111.52 SQ.M

ADMINISTRATIVE AREA
 PRINCIPAL ROOM=27.88 SQ.M
 OFFICE=47.05 SQ.M
 FACULTY ROOM=75.51 SQ.M
 STORE=42.28 SQ.M


AMENITIES AREA
 TOILET=50.00 SQ.M
 BOY'S COMMON ROOM=2.15 SQ.M
 GIRL'S COMMON ROOM=2.15 SQ.M
 ASEPTIC ROOM=26.14 SQ.M

SCALE AS/ SHOWN
 ARCHITECT SIGN
 OWNER SIGN


ARCHITECTS: HARGOVIND DESIGN HUB
 ARCHITECT & INTERIOR DESIGNER PUNJAB LANGR
 OFFICE NO. 20 CRYSTAL APARTMENT SCARDO CH
 SHEKHAPUR ALICHAJI LUCKNOW
 MOBILE NO. 9713144590, 9048500000, 9852145812



40.07
 39.64
 TERRACE
 HERBAL GARDEN
 A
 EXISTING TERRACE FLOOR PLAN
 SCALE 1:100




40.07
 39.64
 EXISTING GROUND FLOOR PLAN (BLOCK -B)
 SCALE 1:100



6.45
 6.45
 6.45
 FRONT ELEVATION
 SCALE 1:100



6.45
 6.45
 6.45
 SECTION AT AA'
 SCALE 1:100



150V SPARKLER SYSTEM VERTICAL RISER
 PLAN DETAIL
 1000S
 600 DV
 P5
 140

1. जिला पंचायत कार्यालय, जिला काराखाना, जिला काराखाना, जिला काराखाना

1. जिला पंचायत द्वारा दिनांक 24.12.2012 को जारी किया गया निर्माण भूमि अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 100 मीटर से कम की चौड़ाई वाले सड़क के निर्माण हेतु आवश्यक विचारोपयोग माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दिनांक 27.12.2012 को प्रमुक्तन में उपस्थित जिला पंचायत कार्यालय की ध्यान निर्माण उपविधि दिनांक 21.5.11 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा विनियमित उपबन्धों प्रतिबन्धन सहित स्वीकार किया जाता है।
2. सड़क चौड़ाई से परतावित सड़क चौड़ाई सड़क की दूरी मार्ग के सड़क से 67.10 मीटर और सम्बंधित मार्ग से अथवा सड़क से 10 मीटर होना आवश्यक है।
3. किसी सौखान्य अधिका गली की ओर खुला नहीं रखा जाएगा।
4. सौखान्य का निर्माण प्लस टाइप का होना चाहिए जिसके लिये सेट्टिक टैंक व शोक फिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
5. भवन की कुर्सी भवन के निकट गली सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी. रखी जाय। गली आजा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत परमिट के दिनांक से 5 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अध्यक्ष द्वारा पुन विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है किन्तु उस अवधि किसी भी दशा में पुन स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिला पंचायत इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबकी होगा।

-Sms 31/12
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बाराबकी।
जिला पंचायत काराखाना।

जिला परिषद / क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5
(नियम 41 देखिये)

शुल साइड्डे कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा)

(परिषद जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम सहित लिखा जायेगा)

ख्या _____ रसीद संख्या _____

जेक्टर संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

खाना संख्या _____ रसीद संख्या _____

जिला परिषद / जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबर स्टाम्प

रसीद संख्या 0880476

रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम _____

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि _____

रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई _____

रसीद के अनुसार कर-समाहता का नाम, जिसने _____

धनराशि वसूल की _____

इस कृपन को जमा करने वाले _____

अधिकारी का नाम तथा पदनाम _____

00

00

00

00

00

00

00

एसओ यूओ पीओ-01 जिला पंचायत 2010-2011-10,000 रुक
10टी0पी0 / आफसेट)।